भारत सरकार
शक्षा मंत्रालय
उच्चतर शक्षा वभाग

लोक सभा
अतारां कत प्रश्न संख्या-**1184**
उत्तर देने की तारीख-**08/12/**2025

इंजीनियरिंग की फर्जी डग्री

†**1184**. श्री बापी हलदर:

क्या शक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लया है क यूजीसी ने आ धकारिक तौर पर अ धसू चत कया है क देश में कई फर्जी वश्व वद्यालय इंजीनियरिंग की डग्री प्रदान कर रहे हैं;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे वश्व वद्यालयों/संगठनों के वरुद्ध राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ग) सरकार द्वारा ऐसे फर्जी वश्व वद्यालयों द्वारा पी ड़त छात्रों की सहायता के लए कए गए/कए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): **शिक्षा समवर्ती सूची में है और भारत में शिक्षा के विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिलकर काम करती हैं। समय-समय पर अद्यतन की जाने वाली फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की वेबसाइट** https://www.ugc.gov.in/universitydetails/Fakeuniversity **पर उपलब्ध है। वर्तमान में**, 24 **संस्थान सूची में शामिल हैं।**

कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों का विषय है। तदनुसार, केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के मुख्य स चवों से अनुरोध कया है क वे इन संस्थाओं को बंद करने के लए कानूनी कार्रवाई करें और स्वयं को वश्व वद्यालयों के रूप में गलत प्रस्तुत करके, ड ग्रयां प्रदान करके और उनके नाम के साथ वश्व वद्यालय शब्द का प्रयोग करके छात्रों को धोखाधड़ी और ठगने में सं लप्त व्यक्तियों के वरुद्ध उ चत कार्रवाई करें। **यह भी अनुरोध किया गया था कि यदि उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अन्य फर्जी विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं जो यूजीसी की फर्जी**

विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल नहीं हैं, तो केन्द्र सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचित करें।

आम जनता, छात्रों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों को सावधान करने के लिए सोशल मीडिया और यूजीसी वेबसाइट के माध्यम से सामान्य जागरूकता के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करने के अलावा, ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ यूजीसी/सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:

i. सरकार के साथ-साथ वश्व वद्यालय अनुदान आयोग ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य स चवों से अनुरोध कया है क वे स्वयं को वश्व वद्यालय के रूप में गलत प्रस्तुत करके, ड ग्रयां प्रदान करके और अपने नाम के साथ वश्व वद्यालय शब्द का प्रयोग करके छात्रों को धोखा देने और ठगने में सं लप्त व्यक्तियों के वरुद्ध ठ चत कार्रवाई करें।
ii. यूजीसी ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान स चवों/स चवों को पत्र लखकर अपने-अपने राज्यों के सभी स्कूल शक्षा बोर्डों को सतर्क रहने के लए सू चत करने और छात्रों को प्रवेश के लए आवेदन करने से पहले यूजीसी की आ धकारिक वेबसाइट के माध्यम से उच्चतर शक्षा संस्थानों की साख को सत्या पत करने की सलाह देने के लए भी लखा है।
iii. वश्व वद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी वनियमों का उल्लंघन करते हुए कार्य कर रही और अमान्य ड ग्रयां प्रदान करने वाली संबं धत स्वयंभू शै क्षक संस्था को कारण बताओ नोटिस/चेतावनी नोटिस/पत्र जारी करता है और उन्हें अवैध गति व धयों को रोकने और वश्व वद्यालय अनुदान आयोग को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश देता है।
iv. यूजीसी ने संबं धत राज्य सरकारों को पत्र लखकर स्वयंभू संस्था की अवैध गति व धयों के बारे में सू चत कया है और उनसे अनुरोध कया है क वे वश्व वद्यालय अनुदान आयोग को सू चत करते हुए इसके वरुद्ध ठ चत कार्रवाई करें।
v. वश्व वद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के बावजूद, यदि वह स्वयंभू संस्था वश्व वद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों का पालन नहीं करती है अथवा निर्धारित समय के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती है, तो उसका नाम वश्व वद्यालय अनुदान आयोग की फर्जी वश्व वद्यालयों की सूची में शा मल हो जाता है। फर्जी वश्व वद्यालयों की अद्यतन सूची यूजीसी की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाती है।
vi. कई स्वयंभू संस्थानों/ वश्व वद्यालयों के खलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
vii. अमान्य ड ग्रयां प्रदान करने वाले अन धकृत संस्थानों को कारण बताओ नोटिस/चेतावनी नोटिस भी जारी कए गए हैं।

जिसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2014 **से अब तक** 12 **फर्जी विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया है।**

*****